International Journal of Geology, Agriculture and Environmental Sciences Volume – 7 Issue – 1 January-June 2019
Website: www.woarjournals.org/IJGAES *ISSN: 2348-0254*

अलवर जिले की अरवारी नदी के पुनर्जीवन का भौगोलिक अध्ययन

दीपेन्द्र सैनी, *शोद्यार्थी, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।*

शोध सारांश

अरवरी नदी राजस्थान राज्य के अलवर जिले की एक छोटी एवं गुमनाम सी नदी है। इस नदी के पीछे इसके सूखने और पुनर्जीवित होने की कहानी है, जिसमें नदी क्षेत्र के लगभग 70 गाँवों के लोगों की भागीदारी है। वर्तमान में इस नदी की कहानी और इसके भौगोलिक इतिहास को 'अरवारी संसद' के नाम से जाना जाता है।

18 वीं शताब्दी में अरवारी नदी प्रतापगढ़ नाले के रूप में जानी जाती थी। उस समय यह वर्ष भर बहती थी। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में घने जंगल हुआ करते थे। नदी के जल पर आश्रित होकर लोग पशुपालन किया करते थे, लेकिन उस समय जल की मांग बहुत कम थी।

जैसे–जैसे समय बदलता गया, नदी अपवाह क्षेत्र में जनसंख्या दबाव भी बढ़ता गया, जिससे जल की खपत भी बढ़ती गई। धीरे–धीरे नदी के जल में सुखाव आना प्रारम्भ हुआ। अरवारी नदी के सूखने की कहानी झिरी गाँव से शुरू हुई। नदी क्षेत्र के इस गाँव में वर्ष 1960 के आस–पास संगमरमर की खुदाई का काम शुरू हुआ। खुदाई जारी रखने के लिये खदानों में जमा भूमिगत जल को निरन्तर बाहर निकाला गया। इस प्रक्रिया से अपवाह क्षेत्र में जल की कमी बढ़ती गई। इस तरह नदी क्षेत्र में 1960 के बाद जल संकट बढ़ता गया और नदी पूर्ण रूप से सूख गई। जैसे ही झिरी गाँव में जल संकट उत्पन्न हुआ, क्षेत्र के अन्य क्षेत्र भी सूखने लगे।

जल संकट के कारण, प्यास से ग्रस्त पशुओं को पशुओं को आवारा छोड़ने की परिस्थितियाँ बनने लगी और लोग आजीविका के लिये अन्यत्र स्थानों की ओर प्रस्थान करने लगे। लोग स्थानीय क्षेत्र को छोड़कर जयपुर, अलवर, अहमदाबाद, दिल्ली को ओर जाने लगे।

1970 के दशक में स्वयं सेवी संस्थान 'तरूण भारत संघ' ने अरवारी नदी क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, जिसमें ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से जोहड़ निर्माण का कार्य शुरू किया गया और एक के बाद एक जोहड़ का निर्माण किया गया। इन जोहड़ का निर्माण पहाड़ों की तलहटी में किया गया, जिनमें पहली ही वर्षा में वर्षा जल एकत्रित हो गया। यद्यपि इस दौरान अरवारी नदी शुष्क ही रही, परन्तु कुओं में जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया। इस तरह इस सफलता ने स्थानीय लोगों को के आत्म विश्वास को ओर बढ़ाया तथा उन्हें एकजुट किया।

वर्ष 1990 के पश्चात् अरवारी नदी पहली बार अक्टूबर माह तक प्रवाहित होती दिखी, जिससे लोगों के विश्वास को ओर बढ़ावा मिला। काम को ओर आगे बढ़ाया गया जिससे वर्ष 1995 तक अरवारी नदी पूर्ण रूप से पुनर्जीवित हो गई। वर्ष 1995 के बाद यह नदी पुनः वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी बन गई।

संकेतांक : *पुनर्जीवित, भागीदारी, अपवाह क्षेत्र, भौगोलिक इतिहास, पशुपालन, जनसंख्या दबाव, जल संकट।*

परिचय :

अध्ययन क्षेत्र में सरिस्का की पहाड़ियों के मध्य थानागाजी तहसील के निकट संकरा बाँध से अरवारी नदी का उद्गम होता है। इसका उत्तरी जलग्रहण क्षेत्र क्षेत्र तहसील के कंकड़ की ढ़ाणी के आसपास है। अरवारी नदी के दो प्राकृतिक जल स्त्रोत हैं, जिनमें से एक भैरूदेव सार्वजनिक वन्यजीव अभ्यारण्य से भूरियावास गाँव के पास और दूसरा स्त्रोत अमका और जोधूला के निकट से निकलता है। अमका और जोधूला के निकट से एक धारा ओर बहती है, लेकिन अरवारी नदी में मिलने से पूर्व ही भूमिगत हो जाती है। दोनों स्त्रोतों से उद्गमित धाराऐं अजबगढ़–प्रतापगढ़ के नजदीक पलसाना के पहाड़ नामक स्थान पर मिलती हैं, जहाँ से प्रवाहित नदी को अरवारी नदी के नाम से जाना जाता है।

कभी बारहमासी नदी के रूप में तथा सघन वन क्षेत्र से घिरी हुई इस नदी पर बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। जैसे–जैसे जनसंख्या का दबाव इसके जल अधिग्रहण क्षेत्र पर बढ़ता गया, वैसे–वैसे नदी का अधिग्रहण क्षेत्र भी सीमित होता गया। साथ ही पेयजल और सिंचाई आवश्यकताओं के लिये भी जल दोहन बढ़ने लगा।

वर्ष 1960 के आसपास अरवारी नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में संगमरमर की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया, जिसके लिये क्षेत्र में अनेकों खदानें खोदी गई, जिससे अरवारी नदी क्षेत्र में जल संकट बढ़ता गया। 1960 के दशकों में नदी पूर्ण रूप से सूख गई थी और ग्रामीण लोग गाँव छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिये विवश हो गये थे।

वर्ष 1985 के पश्चात् अरवारी नदी को पुनः जीवनदान प्राप्त हुआ है। नदी को यह जीवनदान जलपुरूष राजेन्द्र सिंह द्वारा ''तरूण भारत संघ'' के माध्यम से दिया गया है।

अरवारी संसद

26 जनवरी, 1950 को नदी अपवाह क्षेत्र के हमीरपुर गाँव में एक संकल्प समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधीवादी नेता सिद्धराज ढड्ढा ने की थी तथा इसी दिन अरवारी नदी अपवाह क्षेत्र के 70 गाँवों की अरवारी संसद अस्तित्व में आई। अरवारी संसद के उद्देश्य, दायित्व, सांसद आदि बनाने के नियम निर्धारित किये गये। अरवारी संसद के अस्तित्व में आने के पश्चात् इसकी नियमित बैठके होती है, फैसले लिये जाते हैं तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

अरवारी नदी : जनसहभागिता

देश में विगत वर्षो से नदी–नालों का सूखना निरन्तर बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को लगता है कि शुष्क नदी–नालों को पुनर्जीवित करना एक कठिन और नामुमकिन कार्य है, लेकिन अरवारी नदी क्षेत्र में किये गये कार्यों को देखकर प्रतीत होता है कि इस तरह के नदी–नालों को पुनर्जीवित कर पाना सम्भव कार्य है, लेकिन उसमें जनसहभागिता के साथ–साथ निश्चित उद्देश्य में निहित होने चाहिये। इनको अरवारी नदी के कार्य प्रारूप को देखकर समझा जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं–

1. लोगों ने नदी से सिंचाई करने के नियमों का निर्धारण किया। इन नियमों का निर्धारण करते समय स्थानीय परिस्थितियों एवं नदी घाटी के भू–जल विज्ञान को समझा गया। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि नदी के चट्टानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका भू–जल पुनर्भरण क्षेत्र छोटा है। इस कारण थोड़ा सा पुनर्भरण होते ही उसका जल सतह पर प्रवाहित होने लगता है। इससे तात्पर्य है कि नदी जितनी शीघ्रता से जीवित होती है, उतनी ही जल्दी सूखती है। इस कारण यह तय किया गया कि होली आने तक सरसों और चने की खेती करने वाले किसानों को नदी से जल लेने की अनुमति प्राप्त होगी। पशुओं के पीने के पानी और नये पौधो की सिंचाई के लिये कोई बाध्यता नही होगी।
2. लोगों ने कुओं से सिंचाई से सम्बंधित नियम बनाये। नियमों का निर्धारण करते समय स्थानीय जल संभरण की स्थिति और उसकी क्षमता को समझा गया। यद्यपि अरवारी नदी का पूर्ण क्षेत्र छोटी–छोटी जल धाराओं पर निर्भर है, इस कारण यहाँ ज्यादा गहरे कुऐं या नलकूप बनाना उचित नही होगा। लोगों ने जल की कम खपत वाली फसलों को उत्पादित करने और रासायनिक खाद और जहरीली दवाओं का कम से कम उपयोग करने का निर्णय लिया। जल के दुरूपयोग को रोका गया तथा ग्रीष्मकालीन फसलें ना उत्पादित करने का निर्णय लिया गया। पशुओं के लिये अधिक से अधिक चारा उगाया गया और उसकी सिंचाई के लिये जल के उपयोग को सुनिश्चित किया गया।

3. जनसहभागिता के अन्तर्गत निर्धारित किया गया कि अरवारी नदी क्षेत्र से कोई भी जल की बिक्री नही करेगा। जल पर आधारित उद्योगों की स्थापना नही की जायेगा। गरीबों को जलापूर्ति निःशुल्क की जायेगी।
4. निर्धारित किया गया कि भूमि उपयोग परिवर्तन करने वाले बाहरी लोगों को जमीन बेचने पर रोक लगाई गई। साथ ही जमीन बिक्री के रूझान को रोकने का प्रयास भी स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया।
5. लोगों द्वारा जल के अति दोहन वाले क्षेत्रों की पहचान की गई तथा उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।
6. लोगों के निर्णयानुसार जो व्यक्ति भूमि को जल देगा, वहीं भूमि के नीचे के जल का उपयोग कर सकेगा। जो जल पुनर्भरण का काम करेगा, उसके अन्यों की तुलना में 15 प्रतिशत जल अधिक लेने का अधिकार होगा।
7. नदी घाटी के जीव–जन्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अरवारी नदी क्षेत्र को 'शिकार वर्जित क्षेत्र' घोषित किया गया।
8. लोगों ने नदी क्षेत्र में बाजार मुक्त फसल उत्पादन के नियम तथा स्थानीय जरूरत पूर्ण करने वाली व्यवस्था को लागू किया। अपनी आवश्यकता की वस्तुऐं स्वयं उत्पादित की तथा स्वयं का बाजार विकसित किया और आपस में लेनदेन कर खुशहाल स्वावलम्बी व्यवस्था का निर्माण किया।
9. लोगों ने नदी क्षेत्र में हरियाली और वृक्ष बचाने का निर्णय लिया। गाँवों की साझा भूमियों और पहाड़ी क्षेत्रों को हरा–भरा रखने के लिये बाहरी मवेशियों की चराई पर प्रतिबंध लगाया।
10. अरवारी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में प्राकृतिक संरक्षण की बहुत अच्छी एवं जीवंत परम्पराऐं है। लोगों ने इन परम्पराओं के आधार पर प्रकृति संरक्षण परम्पराओं को ज्ञात कर प्रकृति के हित में उन्हें पुनर्जीवित करने का फसला लिया।
11. लोगों ने जल स्त्रोतों के उचित प्रबंधन एवं दुरूपयोग को रोकने में ग्राम सभा की भूमिका तथा उसके उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर पूर्ण जागरूकता और समझदारी से विकेन्द्रित, सतत् और स्वावलम्बी व्यवस्था कायम कर उसे लागू किया गया।

इस प्रकार अरवारी नदी संसद की स्थापना और उसके कार्य का महत्व केवल अरवारी नदी के जल उपयोग तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह आधुनिक लोकतंत्र के इतिहास का एक अभिनव प्रयोग भी है। लोकतंत्र की सफलता के लिये उसकी प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी अति आवश्यक होती है। अतः अरवारी संसद का उपयोग मात्र अरवारी क्षेत्र के लिये ही नहीं, अपितु लोकतंत्र के भविष्य के लिये भी महत्वपूर्ण है।

संदर्भ :

1. तरूण भारत संघ, स्वयं सेवी संस्थान, अलवर।
2. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, अलवर (2015)
3. मनरेगा, जिला अलवर, 2018।
4. सक्सेना हरिमोहन, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी वर्ष 2016 पृ.8